

टाइगर रजिस्ट्रेशन में टाइगर सफारी

प्रलिमिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, पखराऊ में टाइगर सफारी, **कॉर्बेट टाइगर रजिस्ट्रेशन**, **केंद्रीय अनवेषण बयुरो**, **राष्ट्रीय उदयान**, **वन्यजीव अभ्यारण्य**, **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972**, **टाइगर सफारी**, **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड**, **केंद्रीय चिकित्सा एवं प्राधिकरण**, **राजाजी टाइगर रजिस्ट्रेशन**, नाहरगढ़ जैविक उदयान, **एशियाई शेर**, **रायल बंगल टाइगर**, **पैथर**, लकड़बग्धा, भेड़पि, हरिण, मगरमच्छ, **सलौथ बीयर**, हमिलयी बलैक बीयर

मेन्स के लिये:

कार्बेट टाइगर रजिस्ट्रेशन के बफर ज़ोन में टाइगर सफारी की स्थापना का महत्व।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने **कॉर्बेट टाइगर रजिस्ट्रेशन** के बफर क्षेत्र में उत्तराखण्ड के पखराऊ में टाइगर सफारी की स्थापना को मंजूरी देने के प्रता झुकाव व्यक्त किया।

- न्यायालय ने रेखांकिति किया, कि सफारी पारक केवल स्थानीय रूप से संकटग्रस्त, संघरणत या अनाथ बाघों के लिये हैं, चिकित्सारों से बचाए गए बाघों के लिये नहीं।
- अदालत ने **केंद्रीय अनवेषण बयुरो (CBI)** को CTR के अंदर कथित अनियमिताओं की जाँच पूरी करने के लिये तीन महीने की समय-सीमा दी गई है।

टपिक्स:

- वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023** को चुनौती देने वाले मामले से संबंधित अपने अंतर्राष्ट्रीय आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने कहा, कि किसी भी सरकार या प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा एवं प्राधिकरण या सफारी के नियमों को सर्वोच्च न्यायालय से अंतर्राष्ट्रीय अनुमति मंजूरी लेनी होगी।

बाघ

रॉयल बंगल टाइगर (Panthera Tigris) भारत का राष्ट्रीय पशु है।

बाघ की उप प्रजातियाँ

- * महाद्वीपीय (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस)
- * सुंडा (पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका)

प्राकृतिक अधिवास

उष्णकटिबंधीय वर्षावन,
सदाबहार वन,
समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव
दलदल, घास के
मैदान और सवाना

देश जहाँ बाघ पाए जाते हैं

- 13 बाघ रेंज देश जहाँ यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं।
- IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES : परिशिष्ट-I
- WPA 1972 : अनुसूची-I

संरक्षण संबंधी प्रयास

- इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA): बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और घूमा नामक सात बड़ी विलियों के संरक्षण के लिये (भारत द्वारा शुरू)
- Tx2 अभियान: WWF द्वारा आरंभ किया गया; 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए 'टाइगर टाइम्स 2' को संवर्धित करता था
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): WPA, 1972 के तहत गठित
- प्रोजेक्ट टाइगर : 1973 में लॉन्च किया गया
- बाघों की गणना : प्रत्येक 5 वर्ष में

खतरे

- आवास विखंडन
- अवैध शिकार
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

भारत में बाघ

- भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है
 - ◆ वर्ष 2022 तक, भारत में बाघों की संख्या 3167 थी
 - ◆ मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई है
- टाइगर रिजर्व: भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व हैं
 - ◆ नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है
 - ◆ नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश) सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जबकि ओरंग (असम) सबसे छोटा (कोर क्षेत्र) है।

टाइगर सफारी:

■ परचियः

- टाइगर सफारी बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिये चलाया जाने वाला एक अभियान है।
- ये सफारियाँ सामान्यतः **राष्ट्रीय उद्यान** और **वन्यजीव अभयारण्य** जैसे संरक्षित क्षेत्रों में होती हैं, वशिष्ठ: भारत में, जिसमें वशिष्ठ की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी पाई जाती है।

■ परभिया:

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** में "**टाइगर सफारी**" को परभियति नहीं किया गया है।
 - इस अधिनियम में कहा गया है कि "अभयारण्य के अंदर वाणिज्यिक प्रयटक लॉज, होटल, चड़ियाघर और सफारी पार्क का कोई भी निर्माण इस अधिनियम के तहत गठति **राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड** की पूर्व मंजूरी के बना नहीं किया जाएगा।

■ स्थापना:

- बाघ सफारी की अवधारणा को **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** द्वारा प्रयटन के लिये वर्ष 2012 के दशा-नियरिदेशों में प्रस्तुत किया गया था, जिससे बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों में ऐसे प्रतिष्ठानों की अनुमतिदी गई थी।
- वर्ष 2016 के NTCA दशा-नियरिदेशों में घायल, संघर्षरत या अनाथ बाघों के लिये बाघ अभयारण्यों के बफर एवं सीमांत क्षेत्रों में "टाइगर सफारी" की स्थापना की अनुमतिदी, इसमें यह शर्त रखी गई कि चड़ियाघरों से कोई बाघ शामल नहीं किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2019 में NTCA ने बाघ सफारी के लिये चड़ियाघरों से जानवरों को लाने की अनुमतिदी, जिससे **केंद्रीय चड़ियाघर प्राधिकरण** को इन जानवरों का चयन करने का अधिकार मिल गया।

■ आवश्यकताएँ:

- वर्ष 2012 NTCA दशा-नियरिदेशों के तहत बाघ अभयारण्यों के अंदर प्रयटन द्वारा को कम करने की रणनीतिके रूप में सफारी पार्कों का समर्थन किया।
- ऐसे जानवरों को दूर के चड़ियाघरों में स्थानांतरित करने का विरोध किया जा रहा है जो जंगल के लिये उपयुक्त नहीं हैं जैसे कघीयाल, अनाथ या संघर्षरत जानवर।
- सफारी पार्क ऐसे जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखने का एक तरीका प्रदान करते हैं।
- स्थानीय समुदायों की आजीविका की आवश्यकताओं का समर्थन करने वाली गतिविधियों को समायोजित करने के लिये बफर क्षेत्रों को नामित किया गया था।
- सफारी पार्क आय सुजित करने के साथ बाघ संरक्षण हेतु स्थानीय समर्थन को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं।

■ चित्ताएँ:

- चड़ियाघर के बाघों अथवा बाघों के आवास के भीतर अन्य बंदी जंतुओं को रखने स्वेच्छा बाघों और अन्य वन्यजीवों में बीमारी के संचरण का जोखिम होता है।
- बंदी जंतुओं को अलग-अलग स्थानों पर बंदी बनाकर रखने से उनकी बंदी स्थितिमें कोई बदलाव नहीं आता है। रजिस्टर में संरक्षित/बचाए गए" बाघों के लिये सफारी पार्क बनाना समग्र रूप से इस प्रजातिके संरक्षण की तुलना में वैयक्तिक बाघों के कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है जिससे प्राकृतिक आवास प्रबहवति हो सकते हैं।
 - सफारी पार्कों में "संरक्षित/बचाए गए" बाघों को प्रदर्शनित करने की अवधारणा संकटग्रस्त जंतुओं को सार्वजनिक दृश्य से दूर रखने के मानदंड से भनिन है।
 - वर्ष 2016 के दशा-नियरिदेश में इस संबंध में उल्लिखित है कि सफारी पार्कों में प्लेसमेंट से पहले प्रत्येक "संरक्षित/उपचारित जंतु" के लिये NTCA द्वारा मूल्यांकन अनिवार्य था।
- सरवोच्च न्यायालय ने नियम किया कि NTCA की टाइगर सफारी को अनिवार्य रूप से बाघ अभयारण्यों के भीतर चड़ियाघर के रूप में व्याख्या करना बाघ संरक्षण के उद्देश्य के विपरीत है।
- अभयारण्यों में बाघों के समीप प्रयटकों की संख्या को कम करने के प्रयास विफल रहे हैं क्योंकि निए सफारी मार्ग और भी अधिक प्रयटकों को आकर्षित करते हैं।

कार्बेट टाइगर रजिस्टर:

■ परचियः

- यह उत्तराखण्ड के नैनीताल ज़िले में अवस्थिति है। वर्ष 1973 में **प्रोजेक्ट टाइगर** की शुरुआत कार्बेट नेशनल पार्क (भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान) में हुई थी, जो कि कार्बेट टाइगर रजिस्टर का एक हिस्सा है।
 - इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बंगल टाइगर का संरक्षण करना था।
- इसके मुख्य क्षेत्र में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जबकि बफर ज़ोन में आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- रजिस्टर का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और यह शविलकि तथा बाह्य हमिलय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है।
- रामगंगा, सोननदी, मंडल, पालेन और कोसी, रजिस्टर से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं।

■ उत्तराखण्ड के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र:

- **नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान**
 - फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक साथ **यूनेस्को वशिष्ठ धरोहर स्थल** हैं।

- [राजाजी राष्ट्रीय उद्यान](#)
- [गगोत्तरी राष्ट्रीय उद्यान](#)

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान

■ परचियः

- **पृष्ठभूमि:** उत्तराखण्ड में तीन अभ्यारण्यों अरथात् राजाजी, मोतीचूर एवं चीला को एक बड़े संरक्षित क्षेत्र में मिला दिया गया और प्रस्तुति स्वतंत्रता सेनानी सी. राजोपालाचारी के नाम पर वर्ष 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया; लोकप्रिय रूप से "राजाजी" के नाम से जाने जाते हैं।
- **वर्णिष्ठताएँ:**
 - यह क्षेत्र [एशियाई हाथयों](#) के निवास स्थान की उत्तर पश्चिमी सीमा है।
 - वन प्रकारों में साल वन, नदी तटीय वन, चौड़ी पतती वाले मशिरति वन, झाड़ियाँ और घास वाले वन शामिल हैं।
 - वर्ष 2015 में इसे [टाइगर रजिस्ट्र](#) घोषित किया गया था।
 - यह शीतकाल में वन गुज्जर जनजातियों का निवास स्थान है।

आगे की राह

- रोग संचरण जोखियों को संबोधित करना: बंदी जानवरों को बाघ के आवासों में लाने से पहले उनकी कड़ी स्वास्थ्य जाँच और संग्राह प्रोटोकॉल लागू करना।
- कल्याण तथा संरक्षण को संतुलित करना: दशा-निर्देश एवं प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना जो प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिकता दें और जानवरों के कल्याण पर विचार करते हुए प्राकृतिक आवासों में व्यवधान को कम करें।
- नरीक्षण तथा मूलयांकन को बढ़ाना: वर्ष 2016 के दशा-निर्देशों में उल्लिखिति सतरक दृष्टिकोण के आधार पर नगिरानी एवं मूलयांकन तंत्र को मज़बूत करना और साथ ही यह भी सुनिश्चिति करना करिष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) सफारी पार्कों में उनके प्लेसमेंट को मंजूरी देने से पहले प्रत्येक "संरक्षित एवं उपचारित जानवरों" का गहन मूलयांकन करता है।
- संरक्षण लक्षणों के साथ संरेखित करना: संरक्षण संगठनों, सरकारी एजेंसियों तथा कानूनी अधिकारियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना ताकि यह सुनिश्चिति किया जा सके कि नीतियों एवं प्रथाएँ नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों का समर्थन करती हैं।
- सतत प्रयटन प्रबंधन: बाघ अभ्यारण्यों पर प्रयटकों की भीड़ के प्रभाव को कम करने के लिये स्थायी प्रयटन प्रथाओं को लागू करें। आगंतुक यातायात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु आगंतुक कोटा, विविध प्रयटक गतविधियों और बेहतर बुनियादी ढाँचे जैसे विकल्पों का पता लगाएँ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न.1 नमिनलखिति जोड़ियों पर विचार कीजिये: (2013)

राष्ट्रीय उद्यान - उद्यान से होकर बहने वाली नदी

1. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान : गंगा
2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान : मानस
3. साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान: कावेरी

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है हैं?

- (a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1 और 3
(d) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (d)

प्रश्न.2 नमिनलखिति बाघ आरक्षिति क्षेत्रों में "क्रांतकी बाघ आवास (Critical Tiger Habitat)" के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? (2020)

- (a) कॉर्बेट
(b) रणथंभौर
(c) नागार-जुनसागर-श्रीसैलम
(d) सुंदरबन

उत्तर: C

प्रश्न:

प्रश्न. "वभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतगित वरिधाभासों के परणिमस्वरूप प्रयावरण के 'संरक्षण तथा उसके नियन्त्रण की रोकथाम' अप्रयाप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टपिक्सी कीजिए। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tiger-safari-in-tiger-reserve>

